तत्काल/अति आवश्यक
क्रमांक 37160 ई.2/2 दिनांक 25-9-2009

प्रेषक

महानिदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग,
हरियाणा, पंचकूला ।

सेवा में

सभी उप–निदेशक,
जिला मुख्यालय ।

विषयः– वर्ष 2009–10 के अन्तर्गत Plan Schemes के VLDA's / Class-IVth कर्मचारियों को वेतन न मिलने बारे ।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 31117–31138 ई.2/2 दिनांक 4–8–09.

यादीः–

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ के सम्बन्ध में जैसा कि वित्त वर्ष 2009–10 में प्लान स्कीम में बजट उपलब्ध न होने के कारण वी.एल.डी.एज व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन नान प्लान स्कीम से जिला में ही रिक्त पद के विरूद्ध वेतन ड्रा करने बारे निर्देश दिये गये थे फिर भी कुछ जिलों से उनकी स्थापना पर वी.एल.डी.ए का पद प्लान स्कीम में पद रिक्त होने के कारण अन्य जिलों में जहाँ Non Plan Schemes के अन्तर्गत वी.एल.डी.ए / चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त हैं । सूचना फैक्स द्वारा भेजने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 31117–31138 ई.2/2 दिनांक 4–8–09 द्वारा सूचना मांगे जाने पर जिला अम्बाला, पंचकूला, करनाल, यमुनानगर, गुड़गाँव, मेवात तथा पलवल से जो सूचना प्राप्त हुई उनमें 146 वी.एल.डी.ए के पद रिक्त होने की सूचना मिली है ।

जिला पानीपत, रिवाड़ी, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, जींद, रोहतक, सिरसा, झज्जर व सोनीपत को मिलाकर 211 वी.एल.डी.ए जिनको वित्त वर्ष 2009–10 में प्लान स्कीम में वेतन नहीं मिल रहा । उनका निम्न शर्तों अनुसार वेतन नीचे दी जा रही तालिका अनुसार तुरन्त ड्रा किया जाये:–

1. उक्त जिलों में प्लान स्कीम के अन्तर्गत कार्यरत जिन वी.एल.डी.ए का वेतन उक्त जिला से Non Plan Schemes के अन्तर्गत रिक्त पड़ी संस्था से ड्रा किया जाना है । उनका अन्तिम वेतन मासिक हाजिरी रिपोर्ट (Duly Signed) सम्बन्धित अधिकारी को तालिका में दर्शाये गये अनुसार भेजी जाये ।

2. वर्णित कार्यवाही को करते समय एक्सग्रेशिया स्कीम के अन्तर्गत मृतक के जिन आश्रितों को वित्तीय सहायता वेतन के रूप में एक्सग्रेशिया स्कीम 1–8–2008 के अन्तर्गत प्रदान की गई है । वह इस कार्यवाही से प्रभावित नहीं होंगे ।

Contd

जिन जिलों में पद रिक्त है	रिक्त संख्या	जिन जिलों के वी.एल.डी.ए का वेतन ड्रा करवाया जा सकता है	संख्या
अम्बाला	25	जीन्द	25
पंचकूला	08	फतेहाबाद	08
करनाल	17	पानीपत	10
		भिवानी	07
यमुनानगर	05	रिवाड़ी	05
गुड़गाँव	16	हिसार	16
मेवात	34	रोहतक	20
		सिरसा	14
पलवल	41	सोनीपत	20
		झज्जर	21
	146		146

जैसा ऊपर व्यक्त है (211–146 = 65) अर्थात 65 वी.एल.डी.ए अन्य जिलों में में रिक्त पड़े पदों से वेतन ड्रा किये जाने के बाद शेष रह जाते हैं । शेष रह रहे कर्मचारी को इस प्रकार से अब वेतन प्लान स्कीम में सरकार से बजट व्यवस्था उपलब्ध होने पर ही दिया जा सकेगा ।

इस बारे में सम्बन्धित अधिकारियों को निजी स्तर पर वित्त वर्ष 2009–10 में प्लान स्कीमों में बजट व्यवस्था करवाने के निर्देश अलग से दिये गये हैं ।

प्लान स्कीम में बजट व्यवस्था होते ही यह आदेश रद्द समझे जायेंगे ।

कृते: महानिदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग,
हरियाणा, पंचकूला ।

तिथिबद्ध
क्रमांक स्था–II/2 दिनांक

इसकी प्रति निम्नलिखित को:–

1. लेखा अधिकारी (मुख्यालय) ।
2. प्रोजैक्ट अधिकारी (मुख्यालय) ।

को भेजकर अनुरोध है कि वित्त वर्ष 2009–10 में प्लान स्कीमों में बजट निजी स्तर पर सरकार से सम्पर्क करके अधीनस्थ कार्यालयों को उपलब्ध करवाया जाये ताकि सभी कर्मचारियों को सामान्य तौर पर वेतन मिल सके ।

इस पर निजी ध्यान देकर आग्रता बरती जाये ।

कृते: महानिदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग,
हरियाणा, पंचकूला ।